

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के न्याय अनुभाग-1 के पत्र संख्या: 397/XXXVI-A-1/2021-4 नो0-न्याय/2002 दिनांकित 26 अक्टूबर, 2021 के द्वारा जिला टिहरी गढ़वाल की नवसृजित तहसीलों में नोटरी के अतिरिक्त कुल 05 पदों का सृजन किया गया है (जो जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या 234/18-37 दिनांक 11.02.2019 के द्वारा नवसृजित तहसील नैनबाग में 01, नवसृजित तहसील कीर्तिनगर में 01, तहसील देवप्रयाग में 02 एवं नवसृजित तहसील पावकी देवी में 01 पद सृजित किया गया है।) अतः नोटरी के उपरोक्त रिक्त पदों के लिये सम्बन्धित तहसील में प्रैक्टिस एवं निवास करने वाले इच्छुक अधिवक्तागण जो नियमानुसार योग्यता रखते हों, से आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं जो नोटरी नियमावली, 1956 के नियम-3 के अनुसार अर्हता रखते हों। आवेदन करने हेतु नोटरी नियमावली, 1956 के नियम 4 के उपनियम (2) एवं (3) निम्नवत हैं:-

- (2) नियम 3 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रारूप-I के अनुसार और उक्त नियम के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्रारूप-II के अनुसार अभ्यावेदन किया जायेगा,
- (3) नियम 3 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का अभ्यावेदन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा -
 - (क) मजिस्ट्रेट
 - (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबन्धक,
 - (ग) व्यापारी, और
 - (घ) ऐसे स्थानीय क्षेत्र के दो प्रमुख निवासी, जिसमें आवेदक नोटरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है।

जो आवेदन पूर्ण एवं उपर्युक्त नियमों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित नहीं होंगे, उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक जिस तहसील हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा उसमें सम्बन्धित तहसील का नाम भी अंकित करना सुनिश्चित करे।

यह भी अवगत किया जाता है कि आवेदन पत्र अपर सचिव, न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन (जिन्हें अधिसूचना संख्या-02 भा0स0/XXXVI(1)/2009-3/नो0/न्याय0वि0/2002 दिनांक 28 जुलाई, 2009 द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है) को सम्बोधित किये जायेगे एवं आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 30.11.2021 तक प्रस्तुत किये जायेंगे।

ह0/-

(श्रीमती रमा पाण्डेय)

प्रभारी जिला न्यायाधीश,

टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक स. 744(7) / 2021 दिनांक 27.10.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित

1. कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
2. उपजिलाधिकारी नैनबाग/कीर्तिनगर/देवप्रयाग एवं पावकी देवी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, नई टिहरी।
4. सिस्टम असिस्टेन्ट वास्ते वेबसाईप पर अपलोड हेतु।
5. नोटिस बोर्ड।
6. गार्ड फाईल।



मुख्य प्रशा0 अधिकारी
जिला जजशिप टिहरी गढ़वाल।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम